an>

Title: Need to impress upon Government of Uttar Pradesh to release funds for closed district co-operative banks.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) ः को-ऑपरेटिव बैंकों का देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा किसानों के स्वावलम्बन में बड़ी भूमिका रही है। कुप्रबंधन के कारण उत्तर प्रदेश के 16 जिला को-ऑपरेटिव बैंक बंदी की कगार पर हैं जिसके कारण लाखों किसान प्रभावित होंगे और उनका हज़ारों करोड़ रूपया डूब जाएगा। इस संबंध में वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा प्रो. ए. वैद्यनाथन के नेतृत्व में गठित कमेटी द्वारा निर्धारित पैकेज के अनुसार उ.प्र. को-ऑपरेटिव बैंक के लिए राज्य सरकार द्वारा 265.68 करोड़ रूपये तथा भारत सरकार द्वारा 1545.69 करोड़ रूपए की सहायता दी जानी थी। भारत सरकार ने कुछ शर्तों के साथ नाबार्ड में इस धनराशि को देने की घोषणा की है लेकिन राज्य सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आर्थिक बदहाली के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार उ.प्र. के 50 बैंकों में 16 का लाईसेंस रद्द हो गया है। ऐसी स्थिति में इन बैंकों में जमा की गई किसानों की पूंजी न मिलने के कारण किसान बदहाल हैं और सामान्य नागरिकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला को-ऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ग्रामीण किसानों तथा सामान्य जनता को अत्यधिक सुविधा मिलती रही है। व्यापक जनहित में आग्रह है कि-

1. भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए उ.प्र. सरकार बंद पड़े 16 जिला को- ऑपरेटिव बैंकों की धनराशि अविलंब जारी करें।

2. 35 ए, बी.आर.एक्ट 1949 के तहत जारी दिशानिर्देशों को वापस लिये जाएं ताकि लाईसेंस के बिना चल रहे 16 जिला को-ऑपरेटिव बैंकों को राहत मिल सके। साथ ही, उक्त 16 बैंकों के लाईसेंस जारी किये जायें।